[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the 15th June, 2017

INCOME-TAX

- GSR __(E).— In exercise of the powers conferred by subsection (2) to section 92CE and section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- (1) These rules may be called the Income tax (15th Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 10CA, the following rule shall be inserted, namely:—
- **'10CB. Computation of interest income pursuant to secondary adjustments.—** (1) For the purposes of subsection (2) of section 92CE of the Act, the time limit for repatriation of excess money shall be on or before ninety days,—

- (i) from the due date of filing of return under sub-section (1)of section 139 of the Act where primary adjustments to transfer price has been made suo-moto by the assessee in his return of income;
- (ii) from the date of the order of Assessing Officer or the appellate authority, as the case may be, if the primary adjustments to transfer price as determined in the aforesaid order has been accepted by the assessee;
- (iii) from the due date of filing of return under sub-section (1) of section 139 of the Act in the case of agreement for advance pricing entered into by the assessee under section 92CD;
- (iv) from the due date of filing of return section 139 of the Act in the case of assessee as per the safe harbour rules under section 92CB; or
- (v) from the due date of filing of return under sub-section (1) section 139 of the Act in the case of an agreement made under the mutual agreement procedure under a Double Taxation Avoidance Agreement entered into under section 90 or 90A
- (2) The imputed per annum interest income on excess money which is not repatriated within the time limit as per subsection (1) of section 92CE of the Act shall be computed,—
 - (i) at the one year marginal cost of fund lending rate of State Bank of India as on 1st of April of the relevant previous year plus three hundred twenty five basis points in the cases where the international transaction is denominated in Indian rupee; or

(ii) at six month London Interbank Offered Rate as on 30th September of the relevant previous year plus three hundred basis points in the cases where the international transaction is denominated in foreign currency.

Explanation-For the purposes of this rule "International transaction" shall have the meaning assigned to it in section 92B of the Act.'

[Notification No \$2/2017, F.No 370142/12/2017 -TPL]

DIRECTOR (TAX POLICY AND LEGISLATION)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (14th Amendment) Rules, 2017, vide notification number G.S.R 569(E), dated the 9^{th} June, 2017.

Explanatory Memorandum

Notification No. /2017, dated 15th June, ,2017

In order to make the actual allocation of funds consistent with that of the primary transfer pricing adjustment, Finance Act, 2017 inserted Section 92CE in the Income-tax Act, 1961 with effect from 1st day of April, 2018 to provide for secondary adjustment by attributing income to the excess money lying in the hands of the associated enterprise. The provision shall be applicable to primary adjustments exceeding one crore rupees made in respect of the assessment year 2017-18 and on wards.

The said rule prescribes the time limit of repatriation of excess money and the rate at which the interest income shall be computed in the case of failure to repatriate the excess money within the prescribed time limit. In order to provide for an uniform treatment in respect of various types /situations of primary adjustments as referred to in sub-section(1) of section 92CE, it prescribes for a time limit of 90 days for repatriation of excess money.

With regard to the rate of interest to be computed in the case of failure to repatriate the excess money within the prescribed time limit, it provides for separate interest rates for international transactions denominated in Indian rupee and those denominated in foreign currency. The rate of interest is applicable on annual basis.

tos

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 जून, 2017

आय-कर

सा.का.नि......(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92ग ड. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नित्यित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रविशन की तारीका को प्रवृत होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 10ग क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"10ग ख. द्वितीय समायोजन के अनुसरण में ्ब्याज आय की संगणना - (1) अधिनियम की धारा 92ग इ. की उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त धन के संप्रत्यावर्तन के लिए समय-सीमा,-

(i) अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन जहां निर्धारिती द्वारा उसकी आय की विवरणी में कीमत अंतरण के लिए समायोजन चःप्रेरणा से किया गया है, विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से ;

- (ii) यदि उपर्युक्त आदेश में यथाअवधारित, कीमत के अंतरण के लिए मुख्य समायोजन निर्धारिती द्वारा स्वीकृत किया गया है, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख से ;
- (iii) धारा 92ग घ के अधीन निर्धारिती द्वारा अविम मूल्यांकन के लिए करार के मामले में अधिनियम की धारा 139 की उपधार (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से ;
- (iv) धारा 92ग ख के अधीन सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के मामले में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से ;
- (v) धारा 90 या 90क के अधीन दोहरे कराधान का परिवर्जन करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया के अंतर्गत किए किसी करार के मामले में अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी को फाइल करने की नियत तारीख से;

नब्बे दिन या उसके पूर्व होगी ।

- (2) अधिनियम की धारा 92ग इ. की उप-धारा (2) के अनुसार समय सीमा के भीतर जो अतिरिक्त धन प्रत्यावर्तितं नहीं किया गया है, पर आय ब्याज प्रतिवर्ष अधिरोपित करके निम्नानुसार संगणित की जाएगी।
 - (i) उन मामलों में जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अंकित मूल्य भारतीय रुपये में है वहां सुसंगत पूर्ववर्ष की 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की निधि . उधार देने की दर की एक वर्ष उपांतिक लागत धन तीन सौ पच्चीस आधार बिंद्ओं पर;
 - (ii) उन मामलों में जहां अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अंकित मूल्य विदेशी मुद्रा में है वहां सुसंगत पूर्ववर्ष की 30 अप्रैल को लंदन अतर-बैंक प्रस्तावित दर की छह मास धन तीन सौ आधार बिंद्ओं पर ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" का वही अर्थ होगा जो इसका अधिनियम की धारा 92ख में है

(अधिसूचना सं. 5.2 /2017, षा.सं. 370142/12/2017-टीपीएल)

पीतास्य दाय (पीतांबर दास)

निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण – मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, बंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (आ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 569 (अ) तारीख 9 जून, 2017 (आयकर चौदहवां संशोधन) नियम 2017, द्वारा किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन अधिसूचना संख्या /2017, दिनांक 15 जून, 2017

निधि के वास्तविक आबंटन को, प्राथमिक अंतरण मूल्य निर्धारण समायोजन के अनुरूप बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 के द्वारा 1 अप्रैल 2018 से आयकर अधिनियम, 1961 में एक धारा 92 सीई अंत:स्थापित की गई है तािक संबद्ध उद्ययम के पास मौजूद अधिकेतर धनरािश में आय को जोड़ते हुए वित्तीय समायोजन का प्रावधान किया जा सके। यह प्रावधान उन प्राथमिक समायोजनों पर भी लागू होगा जोिक आकलन वर्ष 2017-18 से और उसके बाद के आकलन वर्ष के संबंध में एक करोड़ से भी अधिक होंगे।

उपर्युक्त नियम, अधिकेतर धनराशि की पुन: बहाती की समय-सीमा और अधिकेतर धनराशि को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पुन: बंहाल नहीं किए जाने के मामले में संगणित की जाने वाली ब्याज आय की दर निर्धारित करता है। धारा 92 सीई की उपधारा (1) में यथा संदर्भित प्राथमिक समायोजनों की विभिन्न किस्मों/परिस्थितियों के संबंध में एक-समान बर्ताव किए जाने का प्रावधान करने के लिए, इसमें अधिकेतर धनराशि की पुन: बहाली किए जाने के संबंध में 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित है।

निर्धारित समय-सीमा में अधिकेतर धनराशि की पुन: बहाती नहीं किए जाने के मामले में संगणित किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में, इसमें भारतीय रुपए के मूल्य वाले और विदेशी मुद्रा के मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के संबंध में अलग-अलग ब्याज दरों का प्रावधान है। ब्याज की दर वार्षिक आधार पर लागू है।

पीताम्य दाय